



सत्यमेव जयते

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ३२ (३)]

शुक्रवार, जुलै १०, २०२६/आषाढ १९, शके १९४८

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००]

असाधारण क्रमांक ६४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानपरिषद में दिनांक १० जुलाई, २०२६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १११ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. C. BILL No. XXIII OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PRIVATE UNIVERSITIES  
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2024.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक २३ सन् २०२६।

महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ में अधिकतर  
संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २०२४  
का महा.  
३५।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :-

(१)

भाग सात-६४-१

संक्षिप्त नाम। १. यह अधिनियम महाराष्ट्र निजीकौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

सन् २०२४ का महा. ३५ की अनुसूची में संशोधन। २. महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ की अनुसूची के, सन् २०२४ का ३५।  
भाग दो की प्रविष्टि ४ के पश्चात् निम्न प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“४. ओपनेक्स इनोवेशन विश्वविद्यालय मुंबई, जो कोहिनूर शिक्षण कॉम्प्लेक्स, कोहिनूर सीटी रोड, कुर्ला, मुंबई ४०० ०७०।

ओपन शिक्षण कौशल टेक संस्थापना, सी आय एन क्र यू ८०९०३ एम एच २०२२ एन पी एल ३९५६०७ है, जो कम्पनी अधिनियम २०१३ (सन् २०१३ का १८) है, के अधिन रजिस्ट्रीकृत है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय फ्लैट ए/५ एवार्ड सी एच एस लिमिटेड, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, सायन, मुंबई ४०० ०२२ में है।”।

**उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।**

महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ (सन् २०२४ का महा. ३५) राज्य में उच्चतम शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए महाराष्ट्र राज्य में स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए अधिनियमित करने संबंधी विधेयक।

२. उक्त अधिनियम की धारा ६ यह उपबंध करती है कि, उक्त अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रायोजक निकाय ने उक्त अधिनियम की धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है, तो वह राज्य विधानमंडल द्वारा एक विधि की अधिनियमिति द्वारा अनुसूची में संशोधन द्वारा, अनुसूची के भाग दो में निजी विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और मुख्यालय तथा उनके प्रायोजक निकाय को शामिल करके एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे सकेगी।

३. उक्त अधिनियम की धारा में किए गए प्रावधान के अनुसार, सरकार उक्त अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि, प्रायोजक निकायों ने क्रमशः ओपन शिक्षण कौशल्य टेक संस्थापना और मुंबई शिक्षण न्यास ने निजी कौशल विश्वविद्यालय की संस्थापना के लिए धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है तो वह ओपनेक्स इनोवेशन विश्वविद्यालय, मुंबई के नाम से है।

४. इसलिए, उक्त प्रस्तावित निजी कौशल विश्वविद्यालय को और उक्त विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और मुख्यालय तथा प्रायोजक निकाय को अनुमति देने के लिए एक विधि अधिनियमित करने द्वारा महाराष्ट्र निजीकौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, २०२४ से संलग्न अनुसूची के भाग दो में संशोधन करना इष्टकर समझती है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,

दिनांकित ९ जुलाई २०२६।

मंगलप्रभात लोढा,

कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांकित १० जुलाई, २०२६।

डॉ. विलास आठवले,

सचिव (३),

महाराष्ट्र विधानपरिषद।